न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
सार्व0वि0प्र0 वाद संख्या–123/07–08
मीना देवी बनाम बिहार सरकार

आदेश की क्रम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
17/02/15	**आदेश** प्रस्तुत वाद आवेदिका मीना देवी, पति–दिलीप कुमार, ग्राम पंचायत चिगरी सिमराहा, प्रखण्ड–कुशेश्वरस्थान, जिला–दरभंगा की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल के द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक–200/गो0, दिनांक–31.01.08 से आवेदिका की अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के विरूद्ध वाद आवेदन दायर किया गया है। आवेदिका द्वारा दाखिल वाद आवेदन को प्रतिग्रहित कर निम्न न्यायालय के अभिलेख की मॉग की गयी। निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अभिलेख पर संधारित है। आज पुकार पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह कार्यवाही दिनांक–09.01.2014 को सुनवाई पर निर्धारित की गयी थी। दिनांक–21.02.2014 को आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता बहस हेतु तैयार नही हुए। आवेदिका की ओर से इस कार्यवाही में दिनांक–14.08.14 से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे है जिससे स्पष्ट है कि आवेदिका की ओर से सारी तथ्यो की जानकारी होते हुए भी जान बूझकर न्यायालय का समय व्यर्थ किया जा रहा हैं। इस प्रकार प्रतीत होता है कि आवेदिका को इस कार्यवाही में कोई अभिरूचि नही रह गयी है तथा इस कार्यवाही को आगे चलाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतएव इस कार्यवाही में गुण दोष की जॉच किये बिना ही आवेदिका के पैरवी के अभाव में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। 17/2/15 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।	